

// निर्णय //

(आज दिनांक 27-9-17 को घोषित)

01. आरोपी को स्वेच्छिक संस्वीकृति के आधार पर उसे मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 146/196 MVA के तहत

दण्डनीय अपराध का दोषी पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

02. दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया। आरोपी के विरुद्ध अभिलेख पर कोई पूर्व दोषसिद्धि अनिलिखित नहीं है। अतः आरोपी की संस्वीकृति एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये आरोपी

को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 146/196 MVA के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए कमबः राशि रुपये

कुल 20000/- (द्वी. हजार रुपये मात्र) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

03. अर्थदण्ड सदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को दिवस की अवधि के साधारण कारावास से भुगताया जावे।

04. जप्तबुदा सम्पत्ति वाहन 146/196 MVA को उसके पंजीकृत स्वामी को लौटाया जाये।

मेरे निर्देशन पर दंडित

Judicial Magistrate First Class  
Gohad distt. Bhind (M.P.)